दिल्ली विकास [प्राधिकरण] में घोटाले

707. **श्री दयानन्द सहाय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण में घोटालों के बारे में कोई ज्ञापन या शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जैसा कि 19 अगस्त, 1991 के इवनिंग न्यूज में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो क्या सरकार ने स्वयं जनता से शिकायतें प्राप्त करने का प्रयास किया है ; और

(ग) यदि शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां । राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ने शहरी विकास मंत्री को एक अभ्यावेदन दिया है । अभ्यावेदन में दिल्ली विकास प्राधिकरण पर कई अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं । इनमें दिल्ली के अपर सेशन न्यायाधीश, द्वारा 17 जुलाई, 1991 को उल्लिखित कटु आलोचनायें और निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण की लापरवाही के कारण आय कर विभाग द्वारा 4 करोड़ रुपए की अधिकथित कुर्की ।

(ii) "मिट्टी के घोटाले में" दिल्ली विकास प्राधिकरण को 5 करोड़ रुपए की हानि ।

(iii) दिल्ली विकास प्राधिकरण के निदेशक (भवन) द्वारा फ्लोर कवरज एरिया के अनुपात को बदलने में दोहरी नीति अपनाने का आरोप ।

(iv) पीतमपुरा और रोहिणी में भू-उपयोग परिवर्तन के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण को 64 करोड़ रुपए का आरोपित घाटा ।

(v) रोहिणी में मनोरंजन केंद्र की भूमि एक समिति को आवंटित करने का आरोप ।

(vi) विदेशी बैंकों में 20 करोड़ रुपए की आरोपित जमा राशि ।

(vii) दिल्ली लाटरी के स्टाकिस्ट विशेष के मामले में आरोपित, अनियमितताओं के बारे में उल्लेख ।

(viii) नेहरू प्लेस होटल लिमिटेड तथा हयात रीजेंसी सील केस के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण को 5 करोड़ रुपए का आरोपित घाटा ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को इन आरोपों की जांच-पड़ताल करने के अनुदेश दिए गए हैं । ताकि मंत्रालय इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई कर सके ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण को समाप्त किया जाना

708. **श्री दयानन्द सहाय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण को समाप्त करने के बारे में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार कर रही है और जैसाकि विभिन्न समाचार पत्रों में छपा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण की वर्तमान स्थिति से संतुष्ट है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रति बढ़ते जन-असंतोष के बारे में क्या कदम उठाने जा रही है ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग का कोई अभ्यावेदन राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा से प्राप्त नहीं हुआ है जबकि इस संगठन से दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण में अनियमितताओं के आरोप का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण को पुनः सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया गया है तथा इसके कार्यों को अधिक निष्पक्ष और सुस्पष्ट बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की लोक शिकायत मशीनरी को पुनः नया बनाने; सुदृढ करने तथा आधुनिकृत करने के भी उपाय किए गए हैं ।

फ्लोर कवरेज एरिया का दुरुपयोग

709. **श्री श्यामनन्द सहाय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्लोर कवरेज एरिया अनुपात को बदलने संबंधी प्रावधान के दुरुपयोग किए जाने की शिकायतों पर कोई कार्यवाही की है ; जैसा कि 2 अगस्त 1991 के समाचार मेल में समाचार छपा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रावधानों के ऐसे दुरुपयोग वाले मामलों की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) विशिष्ट शिकायतों की जांच पडताल की गई है तथा इसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(i) न्यू टाउन को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी

सोसाइटी को रोहिणी के सैक्टर 14 में प्लाट सं० 3 आवंटित किया गया था जो किसी भी स्तर पर मनोरंजनात्मक भूमि नहीं थी तथा यह इस क्षेत्र के अनुमोदित विन्यास नक्शे का एक भाग है । दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा 26-4-88 को यह नक्शा अनुमोदित किया गया था । इसके अतिरिक्त, दिल्ली नगर कला आयोग ने 15-12-89 को विशिष्ट ग्रुप हाउसिंग विन्यास नक्शा तथा इस समिति का भवन नक्शा अनुमोदित किया था और उसके पश्चात् 18.40% के ग्राउन्ड कवरेज और 174.93 के पर्शी क्षेत्र अनुपात के साथ इसें 26-2-90 को रिलीज किया गया था ।

(ii) पहाड़ी धीरज को-आपरेटिव सोसाइटी

पहाड़ी धीरज को-आपरेटिव सोसायटी के मामले में कोई अतिरिक्त फ्लोर एरिया कवरेज की अनुमति नहीं दी गई थी । इसके अतिरिक्त, पट्टाकर्ता की अनुमति के बिना पर्शी क्षेत्र अनुपात को नहीं बदला जा सकता है और इस सामूहिक आवास समिति के संबंध में फ्लोर एरिया कवरेज अनुपात में परिवर्तन करने की अनुमति दी गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

झुग्गी झोपड़ी निवासियों का पुनर्वास

710. **श्री श्यामनन्द सहाय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :